विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : जनजातीय विकास

प्रश्न संख्या अतारांकित : 2211

उत्तर की तिथि : 10–08–2022

विषय : भूमि हस्तान्तरण

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)

सम्बन्धित मन्त्री : तकनीकी शिक्षा मन्त्री ।

प्रश्न	उत्तर
क्या तकनीकी शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के अन्तर्गत कोठी पंचायत में हि0प्र0 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम,1968 के उल्लंघन में गैर–जनजाति को जनजाति से भूमि हस्तान्तरित की गई है; यदि हां, तो सरकार ने इस उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की; यदि कार्रवाई नहीं की गई है, तो कारणों सहित ब्यौरा दें?	जी नहीं। कोठी पंचायत में निर्मित चार मंजिला भवन में से प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, व चौथी मंजिल को सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत निलामी द्वारा बिक्री से श्री प्रदीप कुमार सूद, दिनेश कुमार व रतन चंद (गैर किन्नौरा) द्वारा क्रय किया गया है तथा उपरोक्त व्यक्ति भूमि के मालिक नहीं हैं। जमाबंदी में श्री राम चन्द्र व अतुल ही मालकान दर्ज चले आ रहे हैं जो जनजातीय क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में मामला माननीय उच्च न्यायालय में CWP No. 6670/2021 title as Dr. Kishori Lal Negi Vs State of H.P. & ors द्वारा विचाराधीन है।

***